फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

शंकरदास उर्फ सुखरामदास बनाम सहायक कलक्टर बस्सी व अन्य

प्रकरण संख्या : 82/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
17.09.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन, आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 89/2019 ब– उनवानी शंकरदास बनाम शिव रामदास व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन, आर॰ए॰एस॰ से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन, आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है, फलस्वरूप प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	